हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17/12/25 पत्रावली पेश हुई। [illegible] [illegible] प्रार्थना धारा 136 ना० अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखकर शामिल पत्रावली किया गया। [illegible] [illegible] बाद तामील दाखिल हो। [illegible] 17/12/25 उप खण्ड अधिकारी बौंलीकुई (दौसा)	

न्यायालय उपजिला कलक्टर एवं उपजिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई जिला दौसा

प्रकरण संख्या:– 97/2025
प्रकरण दर्ज दिनांक:– 15.07.2025
प्रकरण निर्णय दिनांक :– 17.12.2025

उनवान

1. राजेन्द्र प्रसाद
2. कैलाश चन्द्र
3. मुकेश कुमार
4. जगदीश प्रसाद
5. रमेश चन्द

पुत्रान काना उर्फ कानाराम उर्फ कन्हैयालाल

6. तीजो पत्नि काना उर्फ कानाराम उर्फ कन्हैयालाल
7. रूकमणि
8. गुलाब
9. गुड्डी देवी

पुत्रीयान् काना उर्फ कानाराम उर्फ कन्हैयालाल

समस्त जाति गुर्जर निवासी आभानेरी तहसील बांदीकुई जिला दौसा (राज.)।

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बांदीकुई तहसील बांदीकुई जिला दौसा।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

प्रार्थीगण द्वारा विरूद्ध अप्रार्थी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट जरिये वकील श्री अमरसिंह गुर्जर के इस आशय से पेश किया है कि ग्राम आभानेरी पटवार हल्का 'आभानेरी तहसील बांदीकुई के खाता सं. नया 16 पुराना 16 के खसरा नं. 138 रकबा 0.04 हैक्टे., खसरा नं. 139 रकबा 0.21 हैक्टे., खसरा नं. 140 रकबा 0.48 हैक्टे., खसरा नं.144 रकबा 0.41 हैक्टे., खसरा नं. 145 रकबा 0.20 हैक्टे., खसरा नं.146 रकबा 0.04 हैक्टे., खसरा नं.147 रकबा 0. 20 हैक्टे., खसरा नं.148 रकबा 0.28 हैक्टे., खसरा नं.149 रकबा 0.29 हैक्टे., खसरा नं.150 रकबा 0.35 हैक्टे, खसरा सं. 151 रकबा 0.29 हैक्टे., खसरा नं. 152 रकबा 0.03 हैक्टे,, खसरा नं. 153 रकबा 0.06 हैक्टे,, खसरा नं. 154 रकबा 0.28 हैक्टे., खसरा नं. 155 रकबा 0.28 हैक्टे., खसरा नं. 1.57 रकबा 0.02 हैक्टे. खसरा नं. 161 रकबा 0.38 हैक्टे, खसरा नं. 162 रकबा 0.33 हैक्टे., खसरा नं. 163 रकबा 0.72 हैक्टे, खसरा नं. 957/159 रकबा 0.11 हैक्टे., कुल किता 20 कुल रकबा 5.00 हैक्टे. एवं खाता सं. नया 17 पुराना 17 के खसरा नं. 1032/141 रकबा 0.24 हैक्टे., खसरा नं. 1034/142 रकबा 0.18 हैक्टे., खसरा नं. 1036/143 रकबा 0.42 हैक्टे,, खसरा नं. 1038/171 रकबा 0.12 हैक्टे. कुल किता 04 कुल रकबा 0.96 हैक्टे. एवं खाता नया 18 पुराना 18 के खसरा नं. 135 रकबा 0.09 हैक्टे. कुल किता 01 कुल रकबा 0.09 हैक्टे. स्थित है। जिसका प्रार्थीगण के पिता/पति खातेदार काश्तकार है तथा खाता सं. 18 के प्रार्थीगण के पिता/पति व अन्य

Scanned with OKEN Scanner

सह–हिस्सेदार खातेदार काश्तकार है तथा काबिज होकर उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे है। उपरोक्त वर्णित भूमि प्रार्थीगण की पैतृक भूमि है। जिसमें पिता कन्हैयालाल उर्फ काना उर्फ कानाराम की मृत्यु हो चुकी है। प्रार्थीगण के पिता/पति को घर पर कन्हैयालाल उर्फ कानाराम भी कहते थे। कन्हैयालाल उर्फ काना उर्फ कानाराम एक ही व्यक्ति है। प्रार्थीगण की जमाबन्दी में काना अंकित है किन्तु मृत्यु प्रमाण–पत्र में कानाराम अंकित है एवं प्रार्थीगण के आधार कार्ड, पहचान पत्र, स्कूल दस्तावेज आदि में प्रार्थीगण की वल्दीयत कन्हैयालाल अंकित है। प्रार्थीगण के पिता/पति की दिनांक 11.05.2024 को मृत्यु हो चुकी है। जमाबन्दी में काना अंकित होने से व अन्य समस्त दस्तावेजात में जैसे आधार कार्ड, भामशाह कार्ड, राशन कार्ड आदि में कानाराम उर्फ कन्हैयालाल का नाम होने से प्रार्थीगण विरासत का नामान्तकरण नहीं खुलवा पा रहे है तथा प्रधानमंत्री कृषक योजना एवं किसान क्रेडिट कार्ड आदि बनवाने से महरूम हो रहा है। इसलिए प्रार्थीगण के पिता/पति का जमाबन्दी में काना उर्फ कन्हैयालाल उर्फ कानाराम का इन्द्राज करवाया जाना कानूनन न्याय संगत है। अतः निवेदन है कि प्रार्थीगण का. प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वर्णित भूमि में प्रार्थीगण के पिता/पति का नाम काना के स्थान पर काना उर्फ कानाराम उर्फ कन्हैया का इन्द्राज किये जाने की कृपा करें।

प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी की गयी। तहसीलदार बांदीकुई को उक्त के संबंध में रिपोर्ट भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। तहसीलदार बांदीकुई द्वारा अपने पत्रांक भू0अ0/2025/9647 दिनांक 17.10.2025 के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। तहसीलदार बांदीकुई से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार ग्राम आभानेरी की जमाबंदी के खाता संख्या 16 किता–20 रकबा 5 है0, खाता संख्या 17 किता 4 रकबा 0.96 है0, खाता संख्या 18 किता 1 रकबा 0.01 है0 में प्रार्थीगण के पिता का नाम काना पुत्र रामचन्द्र दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाया है जिसमें प्रार्थीगण के पिता का नाम काना पुत्र रामचन्द्र के बजाय कन्हैयालाल पुत्र रामचन्द्र दर्ज हो। खाता संख्या 18 सहखातेदारों से मौके पर पूछताछ करने पर उनके द्वारा अपने सहखातेदार काना पुत्र रामचन्द्र का सही नाम कन्हैयालाल पुत्र रामचन्द्र होना बताया। ग्राम पंचायत आभानेरी के सरपंच द्वारा श्री काना पुत्र रामचन्द्र का सही नाम कन्हैयालाल पुत्र रामचन्द्र होने बाबत लिखित बयान प्रस्तुत किया है जो पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थी राजेन्द्र प्रसाद पुत्र काना उर्फ कन्हैयालाल की ओर से शपथ पत्र पेश किया गया। दस्तावेज प्रदर्श करवाये गये। ग्राम आभानेरी की जमाबंदी संवत् 2076–2079 खाता संख्या नया 17 पुराना 17 प्रदर्श–1, ग्राम आभानेरी की जमाबंदी संवत् 2076–2079 खाता संख्या नया 16 पुराना 16 प्रदर्श–2 , सरपंच ग्राम पंचायत आभानेरी का प्रमाण पत्र प्रदर्श 3, मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श 4 करवाया गया। पत्रावली बहस पर नियत की गयी। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने का निवेदन किया गया। बहस प्रार्थना पत्र पर मनन किया गया एवं पत्रावली में उपस्थित दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रदर्श 4 मृत्यु प्रमाण पत्र में खातेदार काना का नाम कानाराम गुर्जर दर्ज है एवं तीजो देवी के पति का नाम आधारकार्ड में कानाराम दर्ज है। प्रार्थीगण अपने पिता का नाम राजस्व रिकॉर्ड में काना उर्फ कानाराम उर्फ कन्हैयालाल दर्ज करवाना चाहते है। परन्तु प्रार्थीगण के पिता का नाम मृत्यु प्रमाण पत्र में कानाराम गुर्जर दर्ज है एवं उसकी पत्नि के आधारकार्ड में कानाराम दर्ज है। उक्त दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थीगण के पिता का नाम कानाराम होना प्रतीत होता है। एक ही व्यक्ति के राजस्व रिकॉर्ड में तीन नाम दर्ज

Scanned with OKEN Scanner

नहीं किये जा सकते। अतः मृत्यु प्रमाण–पत्र के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण के पिता का नाम कानाराम दर्ज किया जा सकता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम आभानेरी पटवार हल्का आभानेरी तहसील बांदीकुई के खाता सं. नया 16 पुराना 16 के खसरा नं. 138 रकबा 0.04 हैक्टे., खसरा नं. 139 रकबा 0.21 हैक्टे., खसरा नं. 140 रकबा 0.48 हैक्टे., खसरा नं.144 रकबा 0.41 हैक्टे., खसरा नं. 145 रकबा 0.20 हैक्टे., खसरा नं.146 रकबा 0.04 हैक्टे., खसरा नं.147 रकबा 0.20 हैक्टे., खसरा नं.148 रकबा 0.28 हैक्टे., खसरा नं.149 रकबा 0.29 हैक्टे., खसरा नं.150 रकबा 0.35 हैक्टे, खसरा सं. 151 रकबा 0.29 हैक्टे., खसरा नं. 152 रकबा 0.03 हैक्टे,, खसरा नं. 153 रकबा 0.06 हैक्टे,, खसरा नं. 154 रकबा 0.28 हैक्टे., खसरा नं. 155 रकबा 0.28 हैक्टे., खसरा नं. 1.57 रकबा 0.02 हैक्टे. खसरा नं. 161 रकबा 0.38 हैक्टे, खसरा नं. 162 रकबा 0.33 हैक्टे., खसरा नं. 163 रकबा 0.72 हैक्टे, खसरा नं. 957/159 रकबा 0.11 हैक्टे., कुल किता 20 कुल रकबा 5.00 हैक्टे. एवं खाता सं. नया 17 पुराना 17 के खसरा नं. 1032/141 रकबा 0.24 हैक्टे., खसरा नं. 1034/142 रकबा 0.18 हैक्टे., खसरा नं. 1036/143 रकबा 0.42 हैक्टे,, खसरा नं. 1038/171 रकबा 0.12 हैक्टे. कुल किता 04 कुल रकबा 0.96 हैक्टे. एवं खाता नया 18 पुराना 18 के खसरा नं. 135 रकबा 0.09 हैक्टे. कुल किता 01 कुल रकबा 0.09 हैक्टे. में प्रार्थीगण के पिता का नाम काना के बजाय कानाराम शुद्ध किया जावें। तहसीलदार बांदीकुई तदानुसार राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत अमल दरामद करे। तहसीलदार बांदीकुई को पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। मेरे द्वारा निर्णय आज दिनांक 17.12.2025 को लिखा एवं सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

17/12/25

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner